

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्र.एफ 19-61/2021/1/4
टाइप प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 सितंबर, 2022

समस्त जिला कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम,
समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर परिषद्,
मध्यप्रदेश।

विषय- भारत सरकार और राज्य सरकार की चिह्नित हितग्राहीमूलक योजनाओं में
शत-प्रतिशत सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए “मुख्यमंत्री जन सेवा
अभियान” का क्रियान्वयन।

राज्य सरकार विकास, जनकल्याण और सुराज के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार एवं
राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके
वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही तक समय-सीमा में पहुंचे, यही सुशासन का मूल ध्येय है।
राज्य सरकार द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्णय लिया गया है कि दिनांक 17 सितंबर,
2022 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक विशेष अभियान चलाकर भारत सरकार एवं राज्य
शासन की चिह्नित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान कर इन
योजनाओं में शत-प्रतिशत सैचुरेशन लाया जावे, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही संबंधित योजना
के लाभ से वंचित न रहे। अभियान के प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए
निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं-

For WSPB
06/09/2022

अभियान के विषय में प्रमुख बिन्दु

- i. अभियान का नाम मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान होगा। दिनांक 17 सितंबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक संपूर्ण प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा।
- ii. जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का नेतृत्व जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। जिला कलेक्टर, जिले के प्रभारी मंत्री से चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए जिले में अभियान की रूपरेखा तैयार करेंगे।
- iii. ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए यथास्थिति जिला मुख्यालय के आयुक्त, नगर पालिका निगम/अपर कलेक्टर/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (कलेक्टर द्वारा निर्धारित अनुसार) मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के लिए जिले के नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किए जाएं।
- iv. मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही सी.एम. हैल्पलाईन पोर्टल के माध्यम से की जानी है। पोर्टल में एक पृथक माड्यूल तैयार कर अधिकारियों एवं नागरिकों के लिए लॉगिन क्रियेट करने की सुविधा दी गई है। पोर्टल का यूजर मैनुअल **परिशिष्ट क्रमांक - 1** पर संलग्न है।
- v. मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जिन फ्लैगशिप हितग्राहीमूलक योजनाओं का चिन्हांकन किया गया है, उनकी सूची **परिशिष्ट क्रमांक-2** पर संलग्न है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से इन सभी योजनाओं में 100% सेचुरेशन लाया जाएगा।
- vi. सेचुरेशन से अभिप्राय है सभी पात्र हितग्राहियों को संबंधित चिन्हांकित योजना का लाभ देना। परन्तु ऐसी हितग्राहीमूलक योजनाएं जो लक्ष्य आधारित हैं, अर्थात् जिनमें शासन स्तर से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, में लक्ष्य के अनुसार ही हितलाभ प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

सर्वे दलों का गठन एवं सर्वे कार्य

- vii. प्रत्येक जिले में चिन्हित योजनाओं का लाभ लेने से छूट गए हितग्राहियों की पहचान हेतु प्रत्येक ग्राम एवं शहरी वार्ड में सर्वे दल बनाकर भेजे जाएंगे। सर्वे दलों का गठन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। सर्वे दल घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और चिन्हित योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त लाभों का सत्यापन कर गैप की पहचान करेंगे। सर्वे के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर्स द्वारा जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। सर्वे का कार्य शिविर आयोजन के पूर्व अनिवार्य रूप से संपन्न कर लिया जाए।
- viii. मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सर्वे दल के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के संचालन तथा पोर्टल पर ऐन्ट्री का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जावेगा।

हितग्राहियों की जानकारी की पोर्टल पर ऐन्ट्री

- ix. सर्वे दलों के माध्यम से संभावित हितग्राहियों के जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए पोर्टल पर अधिकारी लॉगिन सुविधा प्रदान की गई है।
- x. नागरिक भी अपने आवेदन स्वयं लॉगिन कर पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए पोर्टल में पृथक से सुविधा दी गई है।

ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन

- xi. दिनांक 17 सितंबर, 2022 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के मध्य प्रत्येक जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं प्रत्येक शहरी वार्ड स्तर पर 2 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों के आयोजन की तिथि एवं स्थान आदि के संबंध में जिले के प्रभारी मंत्री से परामर्श कर अंतिम निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा।
- xii. शिविरों के आयोजन के लिए जिला कलेक्टर्स द्वारा रोस्टर्स का निर्धारण किया जाएगा। प्रत्येक शिविर के पंजीयन की कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

- xiii. प्रत्येक ग्राम पंचायत/ शहरी वार्ड स्तर पर शिविर हेतु कलेक्टर द्वारा एक शिविर प्रभारी तथा सहयोगी दल का गठन किया जाएगा। शिविर के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आयोजन का उल्लंघन शिविर प्रभारी तथा सहयोगी दल का होगा। शिविर पूर्व सूचना, सभी प्राप्त आवेदनों की पोर्टल में ऐन्ट्री तथा निराकरण हेतु विकासखण्ड/नगरीय निकाय स्तर पर भेजा जाने की कार्यवाही भी यही टीम करेगी।
- xiv. शिविरों की मॉनीटरिंग हेतु पर्याप्त संख्या में सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे आवेदन जिनकी स्वीकृति ब्लॉक या जिला स्तर या निकाय स्तर से होना है, उनके निराकरण की जिम्मेदारी सेक्टर अधिकारी की होगी।
- xv. शिविर स्थल, शिविर तिथि, शिविर समय एवं शिविर में होने वाली कार्यवाही के संबंध में आम जनता को लगातार सोशल मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से जानकारी देने एवं प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक संभावित हितग्राही शिविर स्थल तक पहुंच सकें।
- xvi. शिविर में भाग लेने के लिए पोर्टल पर नागरिकों के पंजीयन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत पोर्टल पर नागरिक शिविर के पूर्व अपनी सुविधानुसार शिविर रोस्टर से शिविर का चयन कर अपना आवेदन पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं।
- xvii. प्रथम शिविर में प्राप्त आवेदनों में से सत्यापन पश्चात् जिन हितग्राहियों के आवेदन का तत्काल निराकरण कर उन्हें मौके पर ही लाभ दिया जा सकता है, ऐसे हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। शिविर में प्राप्त होने वाले अथवा शिविर के ठीक पूर्व पोर्टल पर दर्ज होने वाले नवीन आवेदनों को भी विचार में लिया जाएगा और उनका भी यथासंभव उसी दिन निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
- xviii. द्वितीय शिविर ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में उसी स्थान पर एक बार फिर लगाया जाएगा, जहाँ प्रथम शिविर आयोजित किया गया था। द्वितीय शिविर के आयोजन के दौरान प्रथम शिविर में हितलाभ देने हेतु पत्र पाए गए आवेदकों को नियमानुसार स्वीकृति पत्र/हितलाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

- xix. शिविरों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति को रिमार्क (आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने के आधार का विवरण देते हुए) के साथ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- xx. सभी जिले यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों शिविरों में प्राप्त आवेदनों का यथासंभव अंतिम निराकरण 31 अक्टूबर, 2022 अथवा उससे पूर्व अनिवार्य रूप से कर दिया जावे।

अन्य प्रमुख दिशा निर्देश

- xxi. आवेदकों को संबंधित योजना का हितलाभ स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समारोह पूर्वक प्रदान किया जावे।
- xxii. सुनिश्चित किया जाए कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के शिविरों के माध्यम से शत-प्रतिशत सेचुरेशन का लक्ष्य हासिल हो जाए। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समाप्ति के पश्चात् सभी जिला कलेक्टर इस विषय का योजनावार प्रमाण-पत्र राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे कि उनके जिले में प्रमाण-पत्र जारी करने तक की स्थिति में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण हो गया है और उनमें से पात्र पाए गए सभी हितग्राहियों को संबंधित योजना का लाभ प्रदान कर योजना में 100% सेचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
- xxiii. जिलों के प्रभारी मंत्रीगण अपने स्तर पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेंगे। सभी संभागायुक्त संभाग स्तर पर, जिला कलेक्टर जिला स्तर पर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग स्तर पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के संचालन की नियमित समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।
- xxiv. उपरोक्त दिशा निर्देशों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स भी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार जनहित में समुचित निर्णय ले सकेंगे तथा अपने स्तर पर ऐसे नवाचार एवं पहल भी कर सकेंगे, जिससे अभियान के लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त करने में सहायता मिले और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिले, जिसकी वह पात्रता रखता है।

- xxv. अभियान के दौरान समग्र डेटा-बेस में नागरिकों के eKYC कराए जाने का कार्य भी संपादित किया जाएगा। इसके संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।
- xxvi. अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने एवं समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नंबर	ई-मेल आई.डी.
1	श्री गिरीश शर्मा, भाप्रसे	उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	94254 75463	cmjanseva@mp.gov.in
2	श्री संदीप अष्टाना, राप्रसे	अवर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं संचालक, सी.एम हेल्पलाइन (अतिरिक्त प्रभार)	94074 11789	

उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न- परिशिष्ट-1 एवं 2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(विनोद कुमार)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र./एफ 19-61/2021/1/4

भोपाल, दिनांक 05 सितंबर, 2022

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
1. ओ.एस.डी./विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीगण (समस्त)
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. विभागाध्यक्ष (समस्त), मध्यप्रदेश।
5. संभागायुक्त, (समस्त), मध्यप्रदेश।
6. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
- ✓. अवर सचिव (स्थापना), मंत्रालय की ओर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(श्यामबाई धुर्के)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग



परिशिष्ट - 1 User Manual: मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान

समस्त पत्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये ग्राम पंचायत स्तरीय शिविरों के आयोजन हेतु

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान

नागरिकों के स्तर पर उपलब्ध सुविधाएँ:-

- आगामी शिविरों की जानकारी देखना
- शिविर में ऑनलाइन आवेदन दर्ज करना (Pre-Registration)
- योजनाओं की जानकारी देखना

नोडल अधिकारी के स्तर पर किये जाने वाले कार्य :-

- नोडल अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र): मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नोडल अधिकारी (शहरी क्षेत्र): आयकृत, नगर निगम /अपर कलेक्टर/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी /
- नोडल अधिकारी (शहरी क्षेत्र): आयकृत, नगर निगम हेतु रोस्टर का निर्धारण
- कलेक्टर के अनुमोदन से शिविरों के आयोजन हेतु रोस्टर का नियुक्ति
- प्रत्येक शिविर के लिये एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति

प्रभारी अधिकारी के स्तर पर किये जाने वाले कार्य :-

- शिविर में प्राप्त हुये आवेदनों को पोर्टल पर अपडेट करना
- आवेदनों का निराकरण कर पोर्टल पर अपडेट करना
- जिला / विभाग स्तर पर मोनिटरिंग सम्बन्धी कार्य:-
 - कमिशनर/कलेक्टर स्तर: शिविरों की जानकारी, जिसे में विभाग/योजना वार प्राप्त आवेदनों की स्थिति
 - विभागीय स्तर: प्रदेश में विभाग की योजना वार प्राप्त आवेदनों की स्थिति




१. नारदिका के लिये प्रस्तुत

नागरिक द्वारा शिविर से संबंधित जानकारी देखने हेतु

डीआरपी
हेल्पलाइन

श्री एप्पाचंद्र सभा

Call



शिविर की जानकारी

योजनाओं की जानकारी

योजनाओं अंतर्गत आवेदन के प्रारूप

शिविर में अपना पोजीशन करें

टिक्काकार्य वर्धन का।

दिनांक

मास/वर्ष/वर्ष

लाभात्मक

जिला

-जिला नूमे-

लाभात्मक

जिले वाले वर्धन का।

Show

Show

Show

Show

विधायकसभा वारपत्र दस्तावेज़	सम	दर्ता
9/5/2022 12:00:00 AM	लाभात्मक वारपत्र का वर्धन	6/7/10/2022 09:00
9/13/2022 12:00:00 AM	कर्म	6/7/3/2022 09:13/
9/12/2022 12:00:00 AM	वारपत्र	6/14/2022 09:00 AM

झासौन की योजनाओं की जानकारी हेतु

मध्य प्रदेश भारत की प्रभुत्व योजनाएँ

प्रमुख योजनाएँ NEW

विषयालय योजना

ग्राम्य परिवहन योजना

खालील विकास

क्रमण विकास


विद्यालय योजना

सुखाली विकास

सुखाली विकास

योजनाओं की जानकारी हेतु
रोजाना

रोजाना



योजना के लाभ से मध्य प्रदेश योजना का विवरण
विवरण दें एवं लिखें

संक्षेप




टिप्पणी

विषयालय योजना

संक्षेप

ताख




विषयालय योजना
संक्षेप

योजना के आवेदन प्रारूप /फार्म देखने हेतु।

गुड गवर्नेंस एंटी ट्रिशा में बढ़ते कदम

मी.ए.जन सेवा

Call



शिक्षा की जानकारी

पोजनाओं की जानकारी

योजनाओं की जानकारी

शिक्षा में अपना पालीवन करें

शिक्षा का

प्रारूप डाउनलोड
करें



नागरिक द्वारा विविर में पंजीयन करने हेतु।

चौथा
हुड़ियाला

विविर

निसि. श्री. जनकरी

प्रदानी की जनकरी
योजनाओं के अनुसार

शिविर में अपना पंजीयन करें

शिविर में पंजीयन करने का लाभ यह है कि आप अपनी साथ लाएंगे प्रत्येक

विविर
सुन
करना

Sun



2. शिविरों के आयोजन हेतु रॉस्टर का निर्धारण

उत्तरदायित्व:-

नोडल अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र): मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
नोडल अधिकारी (शहरी क्षेत्र): आयुक्त, नगर निगम / अपर कलेक्टर/ मुख्य नगर
पालिका अधिकारी

आधिकारी लॉगिन पेज हेतु

Link for Login: <https://cmhelpline.mp.gov.in/MIS/Default.aspx>



शिविर जोड़ने हेतु प्रक्रिया

स्थान संरचना		01 November 2022	
CALL 181 अपने अपने दोस्तों को बुलाएं।	<input type="button" value="Note"/>	Enter Email	<input type="button" value="Send"/>
जून में जो लोगों को आवास दिया गया था, उन्हें अब भी आवास दिया जाएगा।	<input type="button" value="Ration Card Update"/>		<input type="button" value="Change Dashboard"/>
मिलिंग जोड़े	<input type="button" value="Beneficiary Bulk Upload"/>	13	प्रत्येक दोस्त को अपना अवास दिया जाएगा।
उपलब्ध करें	<input type="button" value="Beneficiary Status Update"/>	2	प्रत्येक दोस्त को अपना अवास दिया जाएगा।
लो	<input type="button" value="New Status"/>	0	प्रत्येक दोस्त को अपना अवास दिया जाएगा।
नई सुझाव 0	<input type="button" value="Feedback"/>	4	प्रत्येक दोस्त को अपना अवास दिया जाएगा।
दस्तावेज़ अपलोड 0	<input type="button" value="Upload Document"/>	5	प्रत्येक दोस्त को अपना अवास दिया जाएगा।
Notification	<input type="button" value="View Details"/>	0	प्रत्येक दोस्त को अपना अवास दिया जाएगा।
सिलसला का निपाहारण	<input type="button" value="Edit Details"/>	0	प्रत्येक दोस्त को अपना अवास दिया जाएगा।
सामग्री वितरण की टिकिटी	<input type="button" value="Delivery Report"/>	0	प्रत्येक दोस्त को अपना अवास दिया जाएगा।
सुनहरे नियमों के लिए अपना कोर्स ले	<input type="button" value="Take Course"/>	0	प्रत्येक दोस्त को अपना अवास दिया जाएगा।
सिरिजन मोबाइल ऐप डाउनलोड करें	<input type="button" value="Download App"/>	0	प्रत्येक दोस्त को अपना अवास दिया जाएगा।
मिलिंग	<input type="button" value="Logout"/>		

अधिकारी द्वारा नया शिविर जोड़ने हेतु



हेतु

C.A.L. 181 का अनुच्छेद

मुख्यमंत्री जनसत्रहालग अधिग्रहण

इन्हें देखाओं
सर्वे सर्वे

पर्याप्त ग्रन्थालय
तरवारत चरमस्त्रा

Notification इन्हें
शिविर पंजीयन

प्रियमात्रों का नियन्त्रण
सामाजिक विभाग की त्रिवेति

संस्कृति दर्शका को दिये गये तात्पर्य
विविध जनसत्रहालग अधिग्रहण

दिविन्द्र नोबेल नं. २ अप्स्ट्रॉड कर्त्ता

शिविर पंजीयन करने का नियन्त्रण
शिविर की जानकारी

सामाजिक विभाग की त्रिवेति

प्रियमात्रों को दिये गये तात्पर्य
संस्कृति दर्शका को दिये गये तात्पर्य

प्रियमात्रों का नियन्त्रण
प्रियमात्रों का नियन्त्रण

अधिकारी द्वारा दर्ज करना

शिविर पंजीयन करने का नियन्त्रण						
प्रियमात्रों का नियन्त्रण						
क्रमांक	नाम	तिथि	शिविर	संस्कृति दर्शका	प्रियमात्रों का नियन्त्रण	अधिकारी द्वारा दर्ज करना
1	वार्ष. नं. 1 (2022-09-04)	04/09/2022	शिविर	नाम	नाम	शिविर पंजीयन
2	वार्ष. नं. 1 (2022-09-04)	04/09/2022	शिविर	नाम	नाम	शिविर पंजीयन
3	वार्ष. नं. 1 (2022-09-04)	04/09/2022	शिविर	नाम	नाम	शिविर पंजीयन

3. शिविर में प्राप्त हुये आवेदनों का पोर्टल पर दृज़े करना

उत्तरदायित्वः शिविर प्रभारी

शिविर के अंतर्गत संबन्धित वाई के हितग्राही की सूची अपलोड करने हेतु प्रक्रिया

राष्ट्रीय
हेल्पलाइन

जल हेतु-जल देतु

CALL 181 - 800 24 12 12 12

भूमध्यमी जलसंवर्धन अभियान

रिपोर्ट जोड़े

Beneficiary Bulk Upload

Beneficiary Status Update

Beneficiary Bulk Upload

तर्जना

मर्जन-ज्ञापन ①

रजस्तान योजना

Notification ③

नियमों का निराकरण

सुनिश्चि वरीण के लिये मोटा बरं

दिलेजन गोलाडर नंबर अपडेट करें

रिपोर्ट

उमत जोड़ें

आपलोड जोड़ें

आपकी सरकार आपके साथ कार्यक्रम के हितग्राही - खंडक आपलोड

रिपोर्ट

-शिविर चुनें-

फारम चयनित करें:

Choose File No file chosen

Import Excel

Please download sample data sheet file and do not change its headers.

संबंधित वाई का
चयन करें।

सिस्टम में सेव फाइल को दिये
गए आवश्यक के माध्यम में
अपलोड करें।

4. आवेदनों का निपाकरण कर पोर्टल पर अपडेट करना

उत्तरदायित्वः शिविर प्रभारी

आवेदन की जानकारी अपलोड करने के पैचात स्वीकृत , अस्वीकृत व लंबित करने हेतु प्रक्रिया

स्वीकृत
अस्वीकृत
लंबित

Call 131 - आवेदन में
आवेदन समिक्षिति अपडेट करें।

नोटों को
Beneficiary Bulk Upload

गिरि आ.ना.
Beneficiary Status Update

नोटिफिकेशन
Notification

गिरि सम्पर्क
Giri Contact

गिरि संख्या
Giri Number

संपर्क संख्या
Contact Number

आवेदन समिक्षिति अपडेट करें।

नोटिफिकेशन
Notification

गिरि सम्पर्क
Giri Contact

गिरि संख्या
Giri Number

संपर्क संख्या
Contact Number

**बहु का चयन कर देखे पर
क्लिक करें।**

1. गिरि सम्पर्क आवेदन समिक्षिति अपडेट करें।

2. नोटिफिकेशन को निर्दिष्ट करें।

3. गिरि संख्या को निर्दिष्ट करें।

4. संपर्क संख्या को निर्दिष्ट करें।

5. नोटिफिकेशन को निर्दिष्ट करें।

6. गिरि सम्पर्क को निर्दिष्ट करें।

7. गिरि संख्या को निर्दिष्ट करें।

8. संपर्क संख्या को निर्दिष्ट करें।

**नोटिफिकेशन
Notification**

**गिरि सम्पर्क
Giri Contact**

**गिरि संख्या
Giri Number**

**संपर्क संख्या
Contact Number**

आवेदन की जानकारी अपलोड करने के पश्चात
स्वीकृत , अस्वीकृत व लंबित करने हेतु प्रक्रिया।

आवेदन पर निष्ठा
करना।

आवेदन को लंबित
करने हेतु निष्ठा करा।

आवेदन को
अनीमित करने
हेतु निष्ठा करा।

आवेदन को स्वीकृत
करने हेतु निष्ठा करा।

Showing 1 to 10 of 28 entries

स्वीकृत
हेतु निष्ठा करा।

अनीमित
करने हेतु निष्ठा करा।

4. शिविर से संबन्धित रिपोर्ट /

डैशबोर्ड

- कलेक्टर - जिलेवार रिपोर्ट
- कमीशनर - सभ्यागवार रिपोर्ट
- विभागवार रिपोर्ट

ପାତ୍ର

परिशिष्ट - 2

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत चिन्हांकित हितग्राहीमूलक योजनाओं की सूची

क्रमांक	योजना का नाम	विभाग का नाम
1.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	राजस्व
2.	मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	
3.	स्वच्छ भारत मिशन	पंचायत एवं ग्रामीण विकास
4.	मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना	
5.	पीएम स्वनिधि	नगरीय विकास एवं आवास
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	
7.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	
8.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	
9.	राष्ट्रीय परिवार सहायता	
10.	समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन	
11.	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	
12.	6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग, बौद्धिक दिव्यांग के लिये आर्थिक सहायता योजना	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
13.	मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना	
14.	दिव्यांग छात्रवृत्ति	
15.	निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना	
16.	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना	
17.	उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, जीवन निवाह भत्ता	
18.	चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण	

19.	आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
20.	लाडली लक्ष्मी योजना	महिला एवं बाल विकास
21.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	
22.	मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना	
23.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
24.	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	श्रम विभाग
25.	मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत भवन संनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन	
26.	आहार अनुदान योजना	जनजातीय कार्य
27.	किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन)	पशुपालन एवं डेयरी
28.	किसान क्रेडिट कार्ड (सहकारी बैंकों के माध्यम से)	सहकारिता
29.	किसान क्रेडिट कार्ड (मछुआ)	मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास
30.	मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
31.	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	
32.	अटल पेशान योजना	वित्त
33.	किसान क्रेडिट कार्ड (कमशियल बैंकों के माध्यम से)	